राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1388/2011/राजसमन्द.
2. अपील संख्या – 1389/2011/राजसमन्द.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स फर्नेश फेब्रिका (इण्डिया) लिमिटेड, राजपुरा, दरीबा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/6/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 23 व 26/वैट/10–11 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.3.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 31.7.2008 व 14.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील संख्या 1388/2011/राजसमन्द से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 21.7.2008 को नेशनल हाईवे संख्या 8 शिशोद (डूंगरपुर) पर वाहन संख्या RJ-27/G-7817 को चैक करने पर वाहन में **'एच. आर. प्लेट्स'** परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स कॉन्टीनेंटल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रा0 लिमिटेड मुम्बई की बिल्टी संख्या 051157 दिनांक 19.7.2008; मैसर्स बावटावाला आयरन एण्ड स्टील प्रा0 लि0 मुम्बई का टैक्स इन्वॉयस संख्या Performa/127/08-09 दिनांक 19.7.2008 एवं मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का घोषणा–पत्र वेट–47 नं0 2881552 पेश किये।

लगातार.....2

इसी प्रकार **अपील संख्या 1389/2011/राजसमन्द** से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 9.11.2008 को नेशनल हाईवे संख्या 8 खजूरी (डूंगरपुर) पर वाहन संख्या RJ-02/G-3563 को चैक करने पर वाहन में **'इलेक्ट्रोड्स एण्ड ग्रेट नोज़ल'** परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स भारद्वाज रोड़लाईन्स, छतराल (गांधीनगर) की बिल्टी संख्या 342 दिनांक 7.11.2008; मैसर्स रत्नमणि टेक्नोकास्ट्स लिमिटेड छतराल (गांधीनगर) का इन्वॉयस संख्या 00541 दिनांक 7.11.2008; मैसर्स रत्नमणि टेक्नोकास्ट्स लि0 छतराल (गांधीनगर) का टेस्ट सर्टीफिकेट नं0 0658 दिनांक 24.10.2008 एवं मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि0, उदयपुर का घोषणा—पत्र वेट—47 नं0 3333475 पेश किये।

प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि परिवहनित माल मैसर्स फर्नेश फेब्रिका (इण्डिया) लिमिटेड, राजपुरा (दरीबा) द्वारा क्रय किया गया है, जबकि घोषणा—पत्र वैट—47 मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पेश किये गये हैं। अतः क्रेता ने स्वयं के प्रपत्र पेश नहीं करके तथा कनसाईनी के प्रपत्र वेट—47 पेश करके, करापवंचन का स्पष्ट प्रयास किया है तथा कनसाईनी के प्रपत्र वेट—47 का दुरूपयोग किया है। अतः उक्त दस्तावेज कर चोरी की नियत से कूटरचित होने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन होने से, प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। नोटिसों की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सक्षम अधिकारी ने अपील संख्या 1388/2011 से सम्बन्धित प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 31.7.2008 से 4 प्रतिशत की दर से वैट रूपये 35,465/— व शास्ति रूपये 2,65,990/— सहित कुल रूपये 3,01,455/— तथा अपील संख्या 1389/2011 से सम्बन्धित प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14.11.2008 से 4 प्रतिशत की दर से वैट रूपये 34,090/— व शास्ति रूपये 2,55,672/— सहित कुल रूपये 2,89,762/— का आरोपण किया गया।

सक्षम अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन पृथक—पृथक आदेश दिनांक 28.3.2011 से अपीलें स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं।

लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से माल मंगवाया गया था, जो कि अधिसूचित माल है, लेकिन वांछित घोषणा पत्र स्वयं के नहीं होकर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के थे। इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(2) के उल्लंघन के कारण धारा 76(6) के तहत शास्ति व कर उचित आरोपित किया गया था लेकिन अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार कर विधिक भूल की है अतः अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि परिवहनित माल का व्यवसायी ने परिवहन के दौरान ट्रांजिट सेल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 6(2) के तहत मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को की थी, इसलिए हिन्दुस्तान जिंक लि0 के घोषणा पत्र पूर्णतया भरा हुए दस्तावेजों के साथ मौजूद थे। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 अनुसार घोषणा पत्र माल प्राप्त करने वाले व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अंकित है तथा घोषणा पत्र में भी माल के कन्साइनी (प्रेषिति) द्वारा ही फॉर्म प्रस्तुत किया जाना अंकित है। चूंकि माल केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा ही प्राप्त किया गया है अतः मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का घोषणा पत्र दस्तावेजों में उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 76(2) का उल्लंघन नहीं है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति व वैट गलत रूप से आरोपित किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 TUD 91 (RTB) तथा (2010) 26 TUD 69 (RTB) का हवाला देते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया एवं न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से अधिसूचित माल क्रय कर माल को मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को प्रेषित कराया है। बिल व बिल्टी दोनों में माल क्रयकर्ता प्रत्यर्थी है तथा प्रेषिति हिन्दुस्तान जिंक दर्शाया गया है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के घोषणा पत्र वेट—47 संलग्न किये गये हैं तथा इस विक्रय को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत ट्रांजिट सेल बताया है। प्रकरणों के तथ्य पूर्व निर्णित प्रकरण (26 TUD 69) के सदृश हैं, जिसमें 6(2) की बिक्री पर

लगातार.....4

अंतिम क्रेता के फार्म को विधिसम्मत माना गया है। ये प्रकरण उक्त प्रकरणों से अच्छादित होने के कारण धारा 6(2) के तहत बिक्री की स्थिति में अन्तिम क्रेता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र उपलब्ध होने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) की पालना हो जाती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य